संख्या-207/2021/675/41-2021-94(बजट)/2018 टीसी-2

प्रेषक,

गिरिजापति द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग — लखनऊ, दिनांक 10 मार्च, 2021

विषय-चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदर्शनी मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-6078/4-1-1(बजट)/प्र0/2017-18, दिनांक 09 फरवरी, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदर्शनी मद हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 आय-व्ययक के अनुदान संख्या 44 के लेखाशीर्ष 3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-**03-पर्यटन सूचना एवं प्रसार के मानक मद 19-विज्ञापन बिक्री और विख्यापन मद** में हो रही बचत से लेखाशीर्ष 3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-**04-प्रदर्शनियों में भाग लेने पर व्यय-42-अन्य व्यय हेतु** संलग्न बी0एम0-9 प्रपत्र में उल्लिखित धनराशि रू0 40.00 लाख (रूपये चालीस लाख मात्र) को पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराने की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

(1) पुनर्विनियोग के माध्यम से निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-149/दस-2020-231/2019, दिनांक 24 मार्च, 2020, शासनादेश सं0-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 7-4-2020, शासनादेश सं0-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11-4-2020 एवं शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18-5-2020 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का मदवार व्यय-विवरण शासन को सक्षम स्तर से उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे इसी वित्तीय वर्ष में नियत तिथि के पूर्व शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(4) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। निवर्तन पर रखी गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का नियमित मिलान महालेखाकार इलाहाबाद से कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

3- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या-आर0ई0-468/दस-2020, दिनांक 09 मार्च, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

<u>संलग्नक-यथोक्त।</u>

भवदीय,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव ।

<u>संख्या-207 /2021/675(1)/41-2021-94(बजट)/2018 टीसी-2 तद्दिनांक::</u>

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6. उप निदेशक पर्यटन निदेशालय उ0प्र0, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-1/2 ।
8. वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7।
9- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
10- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(सन्दर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली भॉति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम-44-पर्यटन विभाग | वित्तीय वर्ष 2020-21 | (धनराशि रूपये लाख मे)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाएगा		निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाएगा	
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) पूंजी मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध प्राविधान/अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध धनराशि	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)	लेखाशीर्ष (15डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय की धनराशि	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-**03-पर्यटन सूचना एवं प्रसार के मानक मद 19-विज्ञापन बिक्री और विख्यापन**	700.00	40.00	40.00	40.00	660.00	3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-**04-प्रदर्शनियों में भाग लेने पर व्यय-42-अन्य व्यय**	20.00	60.00	40.00	40.00	60.00
योग	**700.00**	**40.00**	**40.00**	40.00	660.00	**योग**	**20.00**	**60.00**	**40.00**	**40.00**	**60.00**

नोट:- 1. स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में विज्ञापन मद में रू0 40.00 लाख के व्यय की आवश्यकता न होने के कारण बचत संभावित है।

2. स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय का कारण:. प्रदर्शनी मद में रू0 40.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है तथा इस मद में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण रू0 40.00 लाख विज्ञापन मद में पुनर्विनियोग कराए जाने का प्रस्ताव है।

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव ।
पर्यटन विभाग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-आर0ई0-468/दस-2020 दिनांक 09 मार्च 2021

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

(राजेन्द्र राम)
अनु सचिव, वित्त विभाग।

संख्या-207 /2021/675(1)/41-2021-94(बजट)/2018 टीसी-2 तद्दिनांक::

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6. उप निदेशक पर्यटन निदेशालय उ0प्र0, लखनऊ।।
7- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-1/2 ।
8. वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7।
9- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
10- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in